न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 125 / 2018

प्रार्थी :—	अप्रार्थीगण :—
1 सुभाष वर्मा पुत्र मुरलीधर वर्मा, जाति सोनी, निवासी रामप्याउ के पास, सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली, (राज0)	1 रामचन्द्र पुत्र धनराज जाति जैन निवासी धाकडी तह0 सोजत जिला पाली
	2 बृजेश कुमार
	3 भारत भूषण
	4 रमेश कुमार
	5 राकेश कुमार पिसरान भंवरलाल कौम मालवीय लौहार निवासी सोजतसिटी जिला पाली (राज0)
	6 सन्तोष देवी पत्नि हरिओमप्रकाश चौधरी जाति सीरवी निवासी बापूनगर विस्तार, जिला पाली राज0।
	7 भंवरी देवी पत्नि जगदीश चौधरी जाति सीरवी निवासी पंचायत समिति मार्ग, मारवाड जक्शन जिला पाली (राज0)
	8 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0—सोजत।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 121, 131, व 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956</u>

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक 15.10.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 121, 131, व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बागावास खसरा नम्बर 1150 रकबा 2.0500 हैक्टर कृषि भूमि केसा, सेसा, बुधा, सुजा पिसरान उम्मेद, जाति सीरवी निवासीगण बागावास वालो की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त भूमि मे से प्रार्थी ने उक्त चारो खातेदारों से 0.6900 हैक्टर कृषि भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। जिसकी बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.05.2002 को तहरीर तकमील की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीद करने के बाद उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 787 दिनांक 22.07.2002 को भरा गया है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1150 / 2 रकबा 0.6900

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण संख्या 787 की पुश्त पर मौके पर कब्जा अनुसार नक्शा नजरी बनाया गया तथा उसी अनुसार नक्शा लट्टा में तरमीम किया गया। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1150/2 के पूर्वी तरफ 1150 व 1150/1 था तथा खसरा नम्बर 1150/2 के पश्चिम तरफ खसरा नंबर 1150/3 है प्रार्थी उसी अनुसार मौके पर पक्षकार काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 1150 रकबा 0.6700 हैक्टर अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की है। खसरा नंबर 1150/1 रकबा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के नाम खातेदारी कब्जा काश्त का है। खसरा नंबर 1150/2 रकबा 0.6900 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त का है तथा खसरा नंबर 1150/3 रकबा 0.6900 हैक्टर अप्रार्थी सख्या 6 व 7 की खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 787 की पुश्त पर बनाया गया नजरी नक्शा मौके पर पक्षकारान के कब्जा अनुसार बनाया गया, जो सही बनाया गया था। माफिक मौके पर पक्षकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन बाद में लटटा नक्शा में तरमीम करते समय गलती एवं त्रुटिवश खसरा नंबर 1150/3 के स्थान पर खसरा नंबर 1150, ख0नं0 1150/2 के स्थान पर खसरा नंबर 1150/1, खसरा नंबर 1150/1 के स्थान पर खसरा नंबर 1150/2 एवं खसरा नंबर 1150 के स्थान पर खसरा नंबर 1150/3 अंकित हो गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने अपने कब्जा अनुसार कुछ हिस्से की चार दीवारी भी करवा दी गयी है। लेकिन नक्शा लटट्ा में गलत खसरा नंबर अंकित हो जाने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। नक्शा लटटा में तरमीम सही हुआ है। लेकिन खसरा नंबर को अंकित करने में भूलवश त्रुटि हो गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। तहसीलदार सोजत के समक्ष रेकर्ड दुरूस्त हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा तहसीलदार सोजत पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी थी, जिससे भी नक्शा लटटा में खसरा अंकन करने से त्रुटि होना बताया गया है, तहसीलदार सोजत द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट0 के तहत कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा बागावास के नक्शा लटटा में खसरा नंबर 1150/3 के स्थान पर ख0 नं0 1150, ख0 नं0 1150/2 के स्थान पर खसरा नंबर 1150/1, ख0 नं0 1150/1 के स्थान खसरा नंबर 1150/3 अंकित कर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5, 7 व 8 को तामिली बावजूद बार–बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 28.05.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 को जारी नोटिसेज अधिवक्ता प्रार्थी को दस्ती दिये गये दि0 04.07.2019 को दैनिक नवज्योति जोधपुर/पाली संस्करण में प्रकाशित होकर फहरिस्त के साथ मूल अखबार प्रति पेश की सा0मि0 है। अप्रार्थी संख्या 01 को तामिली बावजूद बार–बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 05/08/2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 06 को दिनांक 10/09/2020 को रजिस्टर्ड एडी0

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

जारी नोटिस भेजे जाने की रसीद दिनांक 11.09.2020 को नोटिस पर चस्पा सुदा प्रस्तुत की गई, सा0मि0 है। अथवा मूल लिफाफा नहीं लौटा है जिसे सम्यक प्रावधानानुरूप तामिल माना जात है । बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 15.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी (लैण्ड होल्डर) की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार सोजत ने दिनांक 08.06.2018 को प्रस्तुत अपने जबाब में अंकित किया कि उक्त प्रा0 पत्र राजस्व रेकर्ड अनुसार भी स्वीकार है। ना0स0 787 की पुश्त पर नजरी नक्शे व राजस्व नक्शा लट्ठा में दी गई तरमीम में दिशा भ्रम से विरोधाभासी दर्ज है। नायब तहसीलदार सोजत ने अपने जबाब में प्रा0 पत्र के संलग्न दस्तावेजात अनुसार स्वीकार योग्य होने से तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित होना अंकित किया है। उक्त दुरूस्ती से राज्यहित व अन्य खातेदारों के हित प्रभावित नहीं होना अंकित किया है। प्रा0 पत्र के संलग्न बतौर साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेज भू0अ0 निरीक्षक व भू0अ0 सूरायता की जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2018 के अनुसार बागावास का नक्शा लटटा ट्रेस नया बनाया हुआ है उक्त नक्शे पर बनाने वाले किसी भी पटवारी का नाम, हस्ताक्षर व दिनांक नही है ग्राम बागावास का नक्शा लटटा ट्रेस नया बनाने के पश्चात पुराना नक्शा तहसील कार्यालय में जमा नही करवाया गया है जिसे अब शीघ्र तहसील कार्यालय में जमा करवाने हेतु पटवारी हल्का को हिदायत दी गई है। बागावास के पुराने नक्शा लटटा में खसरा नंबर 1150 में लाल स्याही से दो लाईन खिंची हुई है जिसमें व पास पड़ौस में नये नंबर अंकित नहीं है। नये नक्शे में की गई तरमीम स्वीकृत ना. क.सं. 787/22.07.2020 की पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शे के अनुसार नही होकर विपरीत है जो दिशाओ का ध्यान नही रखने से सेवन से की गई है पटवारी हल्का द्वारा नक्शे में किसी तरह का टेम्पर नही किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.02.2018 अनुसार उक्त खसरा नंबर के मूल खसरा नंबर 1150 चार हिस्सो में तरमीम सुदा नक्शा लटटे में दर्ज तथा प्रार्थी के खसरा नंबर 1150/1 पर पक्की दीवार निर्माणाधीन है एवं पुराने नक्शा लटटा ट्रेस कापी संलग्न है। उसमें दो तरमीम ही दर्ज है एवं नये नक्शे में तीन तरमीम दर्ज है। लिपिकीय त्रुटिवश नये नक्शा लटटा ट्रैस में खसरा नंबर इन्द्राज तरमीम अनुसार गलत दर्ज है। ख0नं0 1150 रकबा 0.67 हैक्टर किस्म चा0दो0जा0दो0 रामचन्द्र पुत्र धनराज जाति जैन सा0 धाकडी के नाम दर्ज है। ख0न0 1150/1 बृजेश कुमार वगैरह पि0 भंवरलाल कौम मालवीय लौहार सा0 सोजत रकबा 0.6900 हैक्टर किस्म चा0दो0जा0दो0 के नाम दर्ज है। ख0न0 1150/2 प्रार्थी की स्वयं की भूमि है रकबा 0.6900 हैक्टर है। ख0न0 1150/3 रकबा 0.6900 किस्म चा0दो0जा0दो0 संतोष देवी पत्नि हरिओमप्रकाश चौधरी सीरवी सा0 देह 1/2 भंवरी देवी पत्नि जगदीश चौधरी कौम सीरवी सा0 पंचायत समिति मार्ग मारवाड़ जक्शन जिला पाली के नाम दर्ज है। ना0सं0 787 की पुश्त पर नजरी नक्शा बना हुआ है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 121, 131, व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्टादि तथा प्रा0 पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार तथा जबाव प्रार्थना पत्र सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, सोजत दिनांक 08.06.2018 प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से प्रा0 पत्र स्वीकार कर उक्तानुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत ने जबाब बहस में स्वीकारोक्ति/सहमति तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु व्यक्त कर अभिशंषा व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र, एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र एवं प्रा0 पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो की भू0अ0निरीक्षक सुरायता व पटवारी सम्बन्धित की रिपोर्टस का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड तथा नक्शा में वास्तविक मौके की स्थिति अनुसार मौका रिपोर्ट आदि तथा अभिशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सोजत द्वारा स्वीकारोक्ति/सहमति दी जा चुकी है। चूंकि राजस्व रिकार्ड अर्थात् सदभाविक त्रुटिवश राजस्व नक्शें में त्रुटि को दुरुस्त किये जाने के अधिकार न्यायालय हाजा को है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 121, 131, व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाना तथा प्रा0 पत्र संलग्न प्रस्तुत राजस्व नजरी नक्शा (लाल स्याही से दर्शित ख0न0 तरमीम किया जाना है) दिनांक 18.01.2018 तथा अन्य जॉच रिपोर्टादि से भी सिद्ध होने से प्रति तहसीलदार, सोजत को भिजवाते हुए अनुसार विवादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा बागावास के नक्शा लटटा में खसरा नंबर 1150/3 के स्थान पर खसरा नंबर 1150, खसरा नंबर 1150/2 के स्थान पर खसरा नंबर 1150/1, खसरा नंबर 1150/1 के स्थान खसरा नंबर 1150/3 ना0सं0 787 दिनांक 22.07.2020 की पुश्त पर दर्शित नक्शें की तरमीम अनुसार अंकित कर राजस्व नक्शा लटटा वर्तमान में सही रूप से दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 121, 131, व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा– बागावास के पूर्व में राजस्व नक्शा लटठा में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है। मौजा बागावास के अब वर्तमान राजस्व नक्शा लटटा में खसरा नंबर 1150/3 के स्थान पर खसरा नंबर 1150, खसरा नंबर 1150/2 के स्थान पर खसरा नंबर 1150/1, खसरा नंबर 1150/1 के स्थान खसरा नंबर 1150/3 अंकित कर रेकर्ड दुरूस्त करने के नायब तहसीलदार, सोजत की अभिशंषा अनुसार तरमीम पुनः नक्शा लटठा वर्तमान में किये जाने के तहसीलदार, सोजत को

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस दिनांक 18.01.2018 की छायाप्रतियॉ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner